

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

आगरा, अमरोहा, आजमगढ़, हमीरपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, प्रयागराज, जौनपुर, सम्भल व वाराणसी।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/8953

लखनऊ/दिनांक—23-07-2021

विषय : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन (यू0पी0वी0एच0ए0) द्वारा कार्यक्रम के अर्न्तगत निहित गतिविधियों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में कृपया स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र संख्या—यू0पी0वी0एच0ए0/एन0टी0सी0पी0/56/2021, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा आपके जनपद में सहयोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस हेतु संस्था को कोई भी वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ से तकनीकी सहयोग लेते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में संस्था को कोई भी वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

भवदीय,



निदेशक (स्वास्थ्य)  
लखनऊ/तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

2—उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3—समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद— आगरा, अमरोहा, आजमगढ़, हमीरपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, प्रयागराज, जौनपुर, सम्भल व वाराणसी।

4—अधिशायी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

आगरा, अमरोहा, आजमगढ़, हमीरपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, प्रयागराज, जौनपुर, सम्भल व वाराणसी।

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

लखनऊ/दिनांक—23-07-2021

विषय : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन (यू0पी0वी0एच0ए0) द्वारा कार्यक्रम के अर्न्तगत निहित गतिविधियों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में कृपया स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र संख्या—यू0पी0वी0एच0ए0/एन0टी0सी0पी0/56/2021, दिनांक 20 जुलाई, 2021 द्वारा आपके जनपद में सहयोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस हेतु संस्था को कोई भी वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ से तकनीकी सहयोग लेते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में संस्था को कोई भी वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)  
लखनऊ/तददिनांक

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/8954-57

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

2—उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

3—समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद— आगरा, अमरोहा, आजमगढ़, हमीरपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, प्रयागराज, जौनपुर, सम्भल व वाराणसी।

4—अधिसासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)